न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 201/2016/डिक्री

1. संजय कुमार पिता लालचन्द छाबडा पंजाबी
2. ललीत कुमार पिता लालचन्द छाबडा पंजाबी
3. श्रीमतह लीलावन्ती पत्नि लालचन्द छाबडा पंजाबी
   सभी निवासी हाट चौक, छाबडा भवन, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

रामदेव पिता रायमल गुर्जर
निवासी एनटीसी गुर्जर बस्ती रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
दिनांक 23/06/2016 प्रकरण संख्या 8/2014

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री खुमराज कुमावत – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक – 28.03.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट वादीगण की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्टस वादीगण के मौजा झालरबावडी तहसील रावतभाटा मे संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात खाता संख्या 131 मे आराजी नम्बर 159 रकबा 1.08 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजीयात के पडौस उत्तर मे वादीगण के क्रेशर भूमि, दक्षिण बैसाखियां नाला, पूरब–पडत सरकारी जमीन व पश्चिम मे राजकरण ग्रोवर की आराजी। उक्त आराजीयात अपीलान्टस की वंशानुगत है तथा शाश्वत रूप से उक्त आराजीयात पर वादीगण दिनांक 17/10/1987 से शाश्वत कब्जा चला आ रहा है व वादपत्र मे यह भी निवेदन किया कि अपीलान्टस उक्त आराजीयात के खातेदार है तथा काफी लम्बे समय से काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात से रेस्पोडेन्ट को कोई हक व हिस्सा शरीक नही है। रेस्पोडेन्ट दिनांक 28/01/2014 को दिन के करीब 9–10 बजे रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्टस को खुले आम धमकी दी की उक्त आराजीयात पर काश्त नही करना। रेस्पोडेन्ट अपीलान्टस की खातेदारी की आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है। इसी आशय का

वादपत्र अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते तनकीयात हेतू नियत था इसी दरमियान उक्त पत्रावली दिनांक 23/06/2013 को लोक अदालत कैम्प झालर बावडी मे नियत की गयी व यह मानते हुए कि अपीलान्टस ने उक्त वादपत्र जो प्रस्तुत किया कि उक्त वादपत्र मे अपीलान्टस के साबिक आराजी नम्बर 36/6 है जिसका भू–प्रबन्ध के अनुसार नवीन आराजी नम्बर 152 कायम किये गये है व आजी नम्बर 159 रेस्पोडेन्ट के खाते मे दर्ज है जबकि नवीन नक्शे मे तरमीम गलत कर दी गयी थी जिसको दुरस्त कराने का अपीलान्टस ने वादपत्र क्रमांक 13/2016 राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जो अलग से विचाराधीन था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत वादपत्र जो वास्ते कायमी तनकीयात मे होते हुए बिना किसी लिखित राजीनामे के निरस्त किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया निरस्त योग्य है। इससे असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है।

2. अपीलान्ट ने विवादित आराजीयात जरिये पंजीकृत बहनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, तभी से अपीलान्ट वादी खरीदशुदा आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चआ रहा है, वर्तमान मे भी आराजी नम्बर 159 पर ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट का उक्त आराजीयात पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादपत्र गुणावगुण पर निरस्त किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया, जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी ओर से पारित निर्णय एवं आदेश लोक अदालत के तहत पारित किया गया। लोक अदालत मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जिसमे दोनो पक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करते हो, अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण मे प्रकरण वास्ते तनकीयात हेतु नियत था व पक्षकारान की ओर से किसी प्रकार का राजीनामा नही हुआ था बिना राजीनामे के अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात हेतु नियत पत्रावली मे बिना साक्ष्य लिए वादपत्र को प्रमाणित होना नही मानते हुए वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय पारित कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23/03/2016 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत वादपत्र डिक्री फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि मौजा झालरबावडी तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 131 साबिक आराजी नम्बर 159 रकबा 1.08 है0 का मूल खातेदार हरिश कुमार पिता रामचन्द छाबडा है जिसकी मृत्यु होने पर उसके वारिस रिकार्ड पर आ गये है। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट रामदेव पिता कालुराम गुर्जर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करना चाह रहा था जो के पडौसी है जिसकी वजह से अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 02/11/2015 को खारीज कर दिया गया। पत्रावली तनकीयात कायम करने की स्टेज पर चल रही थी जिसमे निर्धारित तिथी दिनांक 11/05/2016 थी उसके पूर्व ही लोक अदालत मे उक्त पत्रावली दिनांक 04/05/2016 को रख दी गई जिसमे किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया गया तथा न ही किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत हुआ है। तत्पश्चात् उक्त फाईल तनकीयात कायम करने हेतु पत्रावली दिनांक 05/07/2016 को तारीख पेशी पर रख दी गई परन्तु उसके पूर्व ही दिनांक 23/06/2016 को पुनः लोक अदालत मे सुनवाई हेतु कैम्प झालरबावडी मे रख दी गई। जिसकी सूचना किसी पक्ष को नही दी गई। ऐसी सूरत मे जब न तो लोक अदालत के नोटिस जारी हुए, न ही नोटिस तामील हुए तथा न ही किसी प्रकार का राजीनामा हुआ। ऐसी सूरत मे यह प्रकरण किसी प्रकार से लोक अदालत की श्रेणी मे नही आने के कारण खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि अपीलान्ट संजय छाबडा ने गलत तथ्यो पर आधारित अपील न्यायालय मे पेश की है। रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त भूमि श्री एम. एस. अब्बासी से जरिये रजिस्टर्ड बेचान से दिनांक 09/09/2013 को खरीद की है, खरीदने के बाद से इस जमीन पर रेस्पोडेन्ट ने चारो ओर पत्थर की दीवार बनवा रखी है तथा रेस्पोडेन्ट ही इस जमीन पर काबिज है। अपीलान्ट की वहां कोई जमीन नही है। अपीलान्ट को जिलाधीश महोदय चित्तौडगढ ने लीज पर भूमि दी थी बाद मे यह लीज निरस्त कर दी गई जिसकी अपील अपीलान्ट के भाई हरिश छाबडा ने उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा के यहां पेश की थी जिसकी अपील संख्या 16/2007 है। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा ने दिनांक 22/06/2010 को निरस्त कर दी, फैसले की प्रति संलग्न है। अपीलान्ट की कोई जमीन ग्राम झालरबावडी मे रेस्पोडेन्ट की जमीन के पास नही है। अपीलान्ट ने एक परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतभाटा के यहां मुझ रेस्पोडेन्ट रामदेव गुर्जर तत्कालीन नायब तहसीलदार

श्रवणलाल गुर्जर तथा तत्कालीन पटवारी पृथ्वीराज सोनी के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि रेस्पोडेन्ट रामदेव गुर्जर ने जो जमीन खरीदी है वह जमीन अपीलान्ट की है तथा तत्कालीन नायब तहसीलदार व तत्कालीन पटवारी ने गलत नक्शा बनाकर फर्जी दस्तावेज जमीन का बिकाव मुझ रेस्पोडेन्ट रामदेव गुर्जर के नाम करवा दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतभाटा ने अपीलान्ट के उक्त परिवाद को जांच हेतु श्रीमान पुलिस उपअधीक्षक रावतभाटा को भिजवाये। पुलिस अधीक्षक रावतभाटा ने जांच कर अपीलान्ट के परिवाद को झूठा माना, बाद मे अपीलान्ट परिवादी ने ए.सी.जे.एम रावतभाटा के यहां प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके परिवाद संख्या 46/2014 है जिसमे विचारण न्यायलय ने परिवादी को दिनांक 30/09/2014 को बयान लेखबद्ध किये तथा योग्य विचारण न्यायालय ने दिनांक 21/08/2015 को परिवादी का परिवाद नायब तहसीलदार तथा तत्कालीन पटवारी व मुझ रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध कोई अपराध बनना नही मानते हुए परिवाद खारीज कर दिया। सम्पूर्ण पत्रावली की फोटो प्रति संलग्न है। अतः निवेदन है कि अपील सारहीन होने से खारीज फरमाई जावे।

5. बहस अपीलान्ट सुनी गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन/अध्ययन किया गया। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पत्रावली उभयपक्ष की बिना अनुमति के लोक अदालत मे रखी गई तथा जब पत्रावली तनकी स्टेज पर चल रही थी उसमे निर्धारित तिथि से पूर्व लोक अदालत मे बिना नोटिस जारी किये रखा जाना तथा निर्णित किया जाना न्यायोचित नही है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा प्रकरण संख्या 8/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 23/06/2016 को अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को पुनः निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़